स्वदेशीजन

प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 7*

प्रस्तावित ईएसएस किस बारे में है?

स्वदेश की पहचान, संस्कृति, आजीविका, जीवन शैली और आध्यात्मिक कल्याण उनके सामूहिक स्वामित्व वाली भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के साथ उनके संबंध पर निर्भर हैं। वे विशेष रूप से असुरक्षित हैं यदि विकास परियोजनाओं द्वारा उनकी भूमि और संसाधनों को रूपांतरित किया जाता है, उन पर अतिक्रमण किया जाता है या उनका ह्रास किया जाता है। वे उन विकास कार्यक्रमों से स्वतः लाभान्वित नहीं होते हैं जो अक्सर मुख्यधारा के लोगों द्वारा या उनके राष्ट्रीय समाज में प्रमुख आबादी द्वारा योजनाबद्ध और कार्यान्वित किए जाते हैं। प्रस्तावित ईएसएस7 सुरक्षा नीति विवरण (2009) के तहत स्वदेशी लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित है।

* ईएसएस7 का पूरा पाठ सुरक्षा नीति समीक्षा: मसौदा नीति। एशियाई विकास बैंक (adb.org). https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy पर है। यह सूचना विवरणिका प्रस्तावित पर्यावरण और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) संबंधी परामर्श मसौदे के आधार पर केवल सूचनार्थ तैयार की गई थी। Q4 2023 में निर्धारित वर्किंग पेपर के हिस्से के रूप में प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) के पूरा पाठ पर एडीबी निदेशक मंडल से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। अंतिम ईएसएफ पर 2024 में एडीबी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।

SAFEGUARD POLICY REVIEW AND UPDATE

ADB

इस ईएसएस 7 के उद्देश्य हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाओं के परिणामस्वरूप स्वदेशी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े या, जहां बचाव संभव नहीं है, ऐसे प्रभावों का शमन करना, कम करना और/या क्षतिपूर्ति करना;
- परियोजनाओं को इस तरह से डिजाइन और कार्यान्वित करना कि स्वयं स्वदेशीजनों द्वारा परिभाषित पहचान, गरिमा, मानवाधिकार, आजीविका प्रणाली और सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए पूर्ण सम्मान को बढ़ावा मिले;
- सुनिश्चित करना कि स्वदेशीजनों को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हों और वे उन परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकें जो उन्हें प्रभावित करती हैं;
- स्वदेशीजनों के लिए सतत विकास लाभों और अवसरों को सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से बढ़ावा देना;
- स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) सुनिश्चित करना; और
- परियोजना के संदर्भ में जहां संभव हो, स्वदेशीजनों की संस्कृति, ज्ञान और प्रथाओं को पहचानना, सम्मान करना और संरक्षित करना, और उपयुक्त तरीके से और समय-सीमा में बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के अवसर पर विचार करना।

प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक (ईएसएस7) तब लागू हो जाता है जब स्वदेशीजन प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में मौजूद होते हैं या उनसे सामूहिक लगाव रखते हैं।

नए और बेहतर नीतिगत प्रावधान क्या हैं?

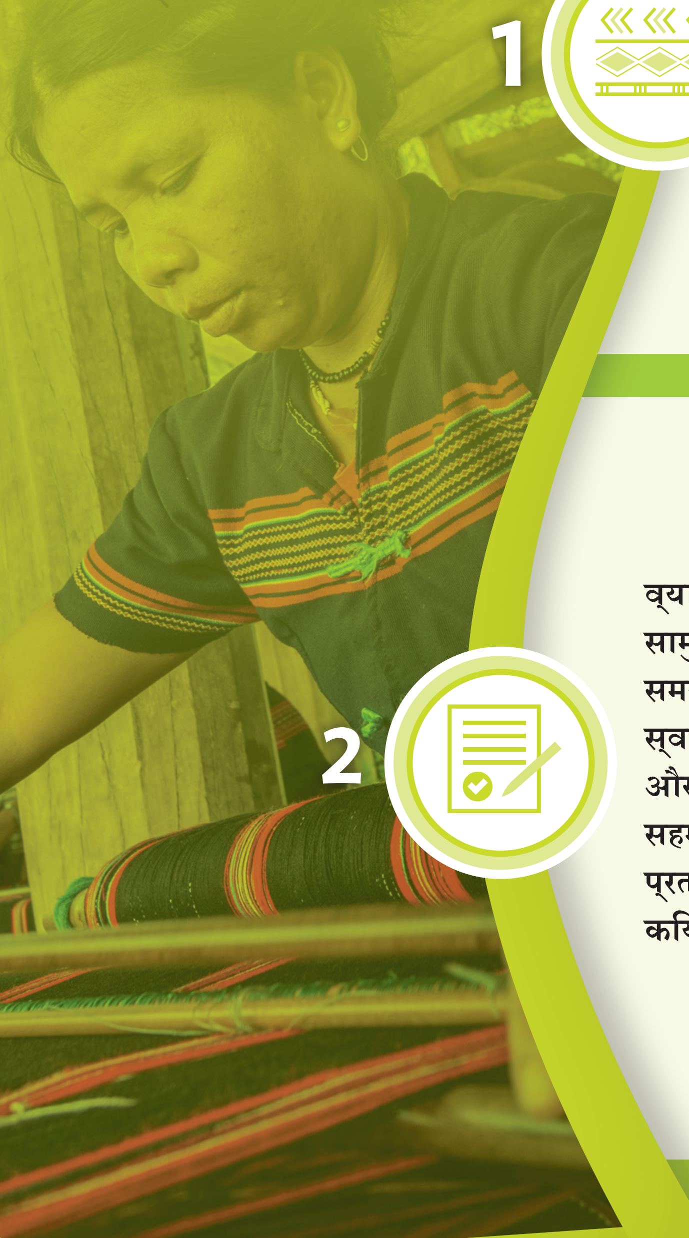

1

स्वदेशीजनों की पहचान

वर्तमान में, सुरक्षा नीति विवरण (एसपीएस) में स्वदेशीजन नीति की पहचान और ट्रिगर करने वाले विशिष्टता और भेद्यता मानदंड दोनों का उपयोग किया गया है। प्रस्तावित मानक में अब स्वदेशीजनों की पहचान के लिए भेद्यता के मानदंड का उपयोग नहीं किया गया है, और यह समतुल्य बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के सुरक्षा ढांचे के अनुरूप है। संशोधित नीति के तहत शमन उपायों को डिजाइन करते समय भेद्यता पर भी विचार किया जाता रहेगा। प्रस्तावित मानक के तहत, विशिष्टता स्थापित करने के लिए स्वदेशीजनों की पहचान चार विशेषताओं पर आधारित है। ये अलग-अलग डिग्री में मौजूद हो सकते हैं। वे हैं: (i) विशिष्ट स्वदेशीजन सामाजिक और सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के रूप में स्वयं की पहचान और दूसरों द्वारा इस पहचान की मान्यता; (ii) भौगोलिक रूप से अलग-अलग क्षेत्रों या पैतृक क्षेत्रों या मौसमी उपयोग या व्यवसाय के क्षेत्रों से सामूहिक लगाव, जिसमें परियोजना प्रभावित क्षेत्र में खानाबदोश और ट्रांसह्यूमन मार्ग और इन क्षेत्रों और क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों शामिल हैं; (iii) प्रथागत सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, या राजनीतिक संस्थाएँ, कानून, या नियम जो प्रमुख समाज और संस्कृति से अलग हैं; और (iv) एक विशिष्ट भाषा या बोली, जो अक्सर देश या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा से भिन्न होती है।

2

व्यापक सामुदायिक समर्थन को स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति से प्रतिस्थापित किया जाएगा

परियोजनाओं के लिए स्वदेशीजनों की सहमति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा नीति विवरण के तहत व्यापक सामुदायिक समर्थन (बीसीएस) की अवधारणा को एफपीआईसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। कर्जदार / ग्राहक परियोजना से प्रभावित स्वदेश का एफपीआईसी प्राप्त करेगा, जब किसी परियोजना का:

(i) पारंपरिक स्वामित्व या प्रथागत उपयोग या व्यवसाय के अधीन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ii) पारंपरिक स्वामित्व या प्रथागत उपयोग या व्यवसाय के अधीन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से स्वदेश समुदायों का स्थानांतरण होता है;

(iii) स्वदेशीजनों की सांस्कृतिक विरासत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो उनकी पहचान और संस्कृति, और/या उनके जीवन के औपचारिक और/या आध्यात्मिक पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है।

एफपीआईसी में सर्वसम्मति अपेक्षित नहीं है और इसे तब भी हासिल किया जा सकता है जब परियोजना से प्रभावित स्वदेशीजन समुदायों के भीतर या उनके बीच के व्यक्ति या समूह स्पष्ट रूप से असहमत हों। कर्जदार / ग्राहक पारस्परिक रूप से स्वीकृत सद्भावना वार्ता प्रक्रिया और परिणामों के साथ-साथ असहमति वाले विचारों को दस्तावेजबद्ध करेंगे। जब संभावित परियोजना-प्रभावित स्वदेशीजनों का एफपीआईसी ज्ञान नहीं हो सकता है, तो उन प्रभावित स्वदेशीजनों से संबंधित परियोजना के पहलुओं, जिनके लिए एफपीआईसी ज्ञात नहीं हो सकती है, को आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी।

3 भागीदारी और सार्थक परामर्श

कर्जदार /ग्राहक एक समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया स्थापित करेगा और वंचितों या कमजोर लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वदेशीजनों की सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय देगा।

4 स्वदेशी लोगों के लिए प्रभाव आकलन

प्रस्तावित मानक में सामाजिक प्रभाव प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की है और इसके लिए भौतिक और मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक प्रभावों, प्रासंगिक जोखिमों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संबंधों मूल्यांकन आवश्यक होता है।

5 स्वैच्छिक अलगाव में रहने वाले स्वदेशीजन

प्रस्तावित मानक में इस बात को मान्यता दी गई है कि स्वदेशीजन समुदाय स्वैच्छिक अलगाव में रहना पसंद कर सकते हैं। कर्जदार /ग्राहक ऐसे स्वदेशीजनों की भूमि, क्षेत्रों, संस्कृति को पहचानने, सम्मान करने और उनकी रक्षा करने के लिए उचित उपाय करेगा और उनके साथ किसी परियोजना के परिणामस्वरूप होने वाले सभी अवांछित संपर्क से बचेंगे।

6 स्वदेशीजन जो परियोजनाओं में एकमात्र या भारी लाभार्थी नहीं हैं

प्रस्तावित मानक में उन दोनों उदाहरणों को शामिल किया गया है जहां स्वदेशीजन किसी परियोजना के एकमात्र या भारी लाभार्थी नहीं हैं, और संबंधित अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं।

7 स्वदेशीजन योजना

स्वदेशीजनों की योजना में स्वदेशीजन समुदायों संबंधी मूल्यांकन किए गए परियोजना प्रभावों और जोखिमों के अनुपात में प्रभाव मूल्यांकन और सार्थक परामर्श के आधार पर तैयार किया जाएगा।

8 **बजट**

कर्जदार /ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि स्वदेश पी में शामिल किए जाने वाले शमनकारी और लाभकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

9 **शिकायत तंत्र**

कर्जदार /ग्राहक एक शिकायत तंत्र स्थापित करेगा जो जहां उपयुक्त हो, स्वदेशीजनों के प्रथागत विवाद निपटान तंत्र को एकीकृत करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतकर्ताओं को प्रतिशोध से बचाया जाए।

10 **निगरानी और रिपोर्टिंग**

यह परियोजना के जोखिमों और प्रभावों के अनुपात में होना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव वाली परियोजनाओं के मामले में योग्य और अनुभवी बाहरी मॉनिटर को नियुक्त किया जाएगा।

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)
© 2023 ADB. The CC license does not apply to non-ADB copyright materials in this publication.
https://www.adb.org/terms-use#openaccess http://www.adb.org/publications/corrigenda
Publication Stock No. ARMXXXXXX-X

Printed on recycled paper